राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

कमांकः–एफ15( )भिक्षा.नि./सा0सु0/सान्याअवि/20–21/25053 जयपुर, दिनांक 10/6/21

अधिसूचना

राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास अधिनियम, 2012 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन जो नामित "**राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास बोर्ड**" निम्नानुसार किया जाता है:–

1. राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात्:–

(क)	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का प्रभारी मंत्री,	अध्यक्ष
(ख)	राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किया जाने वाला एक संसद–सदस्य,	सदस्य
(ग)	राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किया जाने वाला एक विधान सभा–सदस्य,	सदस्य
(घ)	मान्यता प्राप्त सेवा संगठनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जाने वाले दो व्यक्ति, जिनमें से एक महिला होंगी,	सदस्य
(ड)	राज्य सरकार द्वारा, विख्यात सामाजिक कार्यकताओं में से नाम निर्देशित किये जाने वाले चार व्यक्ति, जिनमें से दो महिलाएं होंगी,	सदस्य
(च)	राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किये जाने वाले दो जिला प्रमुख, जिनमें से एक महिला होंगी,	सदस्य
(छ)	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का प्रभारी शासन सचिव,	सदस्य–सचिव
(ज)	आयुक्त, भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास,	सदस्य

खण्ड (ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट सदस्यों में से एक महिला होगी।

2. राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास बोर्ड के सदस्यों की पदावधि और अन्य शर्तें:–

(1) नाम निर्देशित सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष की होगी।

(2) नाम निर्देशित सदस्य किसी भी भत्ते के हकदार नहीं होंगे, तथापि वे बैठकों में उपस्थित होने में उनके द्वारा उपगत किसी व्यय की प्रतिपुर्ति के हकदार होंगें।

(3) राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास बोर्ड की बैठक एक वर्ष में कम से कम दो बार ऐसे स्थान पर होगी, जैसाकि राज्य सरकार निर्देश दे।

(4) राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास बोर्ड की गणपूर्ति को सम्मिलित करते हुए, प्रक्रिया, ऐसी रीति से विनियमित की जायेगी, जो विहित की जायें।

(5) राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास बोर्ड का कोई भी कार्य या कार्यवाही, बोर्ड में मात्र कोई रिक्ति होने के या इसके गठन में किसी त्रुटि के या राज्य सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया में किसी ऐसी अनियमितता के कारण जो मामले के गुणागुण को प्रभावित न करती हो, अविधिमान्य नहीं होगी।

खण्ड (4) में राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास बोर्ड की गणपूर्ति, राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास नियम, 2020 के बिन्दु संख्या 20 के प्रावधानानुसार विहित होगी।

(6) राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास बोर्ड –

(क) साधारणतया इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यकरण और क्रियान्वयन पर राज्य सरकार को सलाह देगा।
(ख) विशेष रूप से, सेवा संगठन की मान्यता के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देगा।
(ग) पुनर्वास गृहों के प्रबंध का पर्यवेक्षण करेगा और भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए वैकल्पिक मार्गोपायों के बारे में भी सुझाव देगा।
(घ) ऐसे क्षेत्रों और उपायों के बारे में सुझाव देगा जिनमें भिखारियों को भिक्षावृत्ति नहीं करने के लिए मनाया जा सके ताकि उनकी दशा को सुधारा जा सके और उनका पुनर्वास किया जा सकें और इस प्रकार अंत में राज्य को भिखारियों से मुक्त बनाया जा सके।
(ड) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो राज्य सरकार समय–समय पर विनिर्दिष्ट करें।

3. राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास बोर्ड के नाम निर्देशित सदस्यों द्वारा त्यागपत्रः– राज्य सलाहकार बोर्ड का नाम निर्देशित सदस्य, राज्य सरकार को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित नोटिस द्वारा सूचित कर के अपना पद त्याग सकेगा।

4. राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास बोर्ड के नामनिर्देशित सदस्य को हटाया जानाः–

(1) राज्य सरकार, ऐसे किसी भी नामनिर्देशित सदस्य को पद से हटा सकेगी जो–

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत हो चुका हो, या
(ख) नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया हो, या

(ग) राज्य सलाहकार बोर्ड के इस प्रकार नामनिर्देशित सदस्य के रूप में शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करने में असमर्थ हो गया हो, या

(घ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया हो जिससे राज्य सलाहकार बोर्ड के नामनिर्देशित सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकुल प्रभाव पडने की सम्भावना हो, या

(ड) उसने अपनी स्थिति का इस प्रकार दुरूपयोग किया हो कि उसका पद पर बने रहना लोकहित के प्रतिकूल हो गया हो।

(2) नामनिर्देशित सदस्य को उसके पद से हटाने से पूर्व सुनवाई का एक अवसर प्रदान किया जायेगा।

5. **आकस्मिक रिक्तियों का भरा जानाः**— राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास बोर्ड की सदस्यता में किसी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या हटाये जाने से या उस हैसियत में परिवर्तन से, जिसमें वह नियुक्त या नाम निर्देशित किया गया था, होने वाली रिक्ति को राज्य सरकार द्वारा यथा सम्भव शीघ्र भरा जायेगा।

6. राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास नियम, 2020 के बिन्दु संख्या 14(4). भिखारी और निर्धन व्यक्ति कल्याण निधि का प्रबन्धन और प्रशासन राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास बोर्ड के नियन्त्रणाधीन होगा।

उक्त अधिसूचना तुरन्त प्रभाव सें लागू होगी।

(डॉ0 समित शर्मा)
शासन सचिव

क्रमांकः—एफ15( )भिक्षा.नि./सा0सु0/सान्याअवि/20—21/25054-62 जयपुर, दिनांक 17/6/21

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, समस्त माननीय मंत्रिगण, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, श्रीमान् मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, समस्त जिला कलेक्टर्स।
7. संयुक्त निदेशक, आई.टी., मुख्यावास को लेख है कि विभागीय वेब—साईट पर अपलोड हेतु सूचनार्थ।
8. उप/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.....राजस्थान।
9. रक्षित पत्रावली।

(ओ.पी. बुनकर)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव